न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 5/2020
3. उनवान : सरकार जरिये मोहन लाल देव प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सुखदेव निवासी प्लाट नं 27 लंकापुरी शास्त्री नगर, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) श्री विष्णु शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी श्री मोहन लाल देव द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका,
फर्द अभिग्रहण, फर्द सुपुर्दगीनामा, फर्द पूछताछ की प्रति आदि पेश कर प्रार्थना पत्र
में कथन किया कि दिनांक 15.03.2011 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना
मुहाना की चैंकिंग के दौरान श्री अशोक पुत्र श्री सुखदेव निवासी प्लाट नं 27,
लंकापुरी शास्त्रीनगर की सफेद रंग की मारुति 800 कार नम्बर
आरजे–14–3सी–9556 में प्लास्टिक जरीकेन क्षमता 50 लीटर, 4 प्लास्टिक जरीकेन
क्षमता 30 लीटर तथा 1 जरीकेन क्षमता 20 लीटर कुल 6 जरीकेन पाये गये। जिसमें
50 लीटर, 30 लीटर एवं 5 लीटर कुल 85 लीटर नीला केरोसीन पाया गया एवं 3
जरीकेन खाली पाये गये। उक्त केरोसीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत
अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को राशनकार्ड पर वितरण किये जाना वाला पाया
गया। मौके पर 85 लीटर नीले केरोसीन तेल में से 750–750 एम.एल. के तीन
सैम्पल लिये गये तथा मौके पर शेष रहे 82.750 लीटर नीला केरोसीन मय 6
प्लास्टिक जरीकेन व मारुति कार को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा कोई
साक्ष्य सबूत उक्त केरोसीन के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति
में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम
के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज
करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को
नोटिस सम्यक रूप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 03.05.2011 को
अधिवक्ता श्री विष्णु शर्मा ने वकालतनामा पेश किया और अप्रार्थी ने जब्तशुदा कार
आरजे–14–3सी–9556 को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर
दिनांक 16.11.2011 को रुपये 1,00,000/– के जमानतनामे पर अप्रार्थी को सुपुर्द
करने के आदेश दिये। तत्पश्चात पत्रावली में दिनांक 04.12.2012 को अप्रार्थी का
जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अप्रार्थी/अभिभाषक
के [illegible] समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक24.08.22को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 15.03.2011 को थानाधिकारी मुहाना द्वारा डिटेन किये गये अप्रार्थी की कार मय नीला केरोसीन तेल पर जांच कार्यवाही कर कुल 82.750 लीटर नीला केरोसीन मय 6 प्लास्टिक जरीकेन एवं मारूति कार आरजे–14–3सी–9556 जब्त किये गये। मौक पर जांच करने पर केरोसीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना पाया गया। मौके पर पूछताछ में अप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसने परिवार व पडोसियों के राशनकार्ड से शास्त्री नगर के डीलरों से लिया है तथा तीन माह से स्टॉक किया हुआ है। पैसों की जरुरत की वजह से फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को विक्रय हेतु लाया था। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा सार्वजनिक प्रणाली के तहत अनुदानित दर पर राशनकार्डों पर वितरित किये जाने वाले नीले केरोसीन तेल का भण्डारण कर बिना अनुज्ञापत्र/अधिकार पत्र कालाबाजारी कर केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम नियंत्रण) आदेश 1993 व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रार्थी ने जब्त सामान के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये ना ही किसी अन्य व्यक्ति ने इन सामानों के स्वामित्व के संबंध में क्लेम किया। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 82.750 लीटर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नीला केरोसीन, 6 प्लास्टिक जरीकेन व इनके अवैध परिवहन में काम ली जा रही मारुति कार आरजे–14–3सी–9556 शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक24.08.2022को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।